



2026:AHC-LKO:7857-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 52/2026

रविंदर कुमार

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – रूप गुप्ता

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रूप गुप्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल शुक्ला और ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज गुप्ता के वाद धारक श्री मोहम्मद तालिब खान को सुना गया।
- जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के तरबगंज जिले के तहसीलदार (न्यायिक) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2025 का अनुपालन करने का निर्देश जारी करने की मांग की है, जिसमें बकियापुर, डाकघर- देवरदा दिक्षिर, जिला- गोंडा में स्थित गाटा संख्या 375 क्षेत्रफल 0.003 हेक्टेयर और गाटा संख्या 575जी क्षेत्रफल 0.005 हेक्टेयर से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है।
- तहसीलदार- तरबगंज, गोंडा द्वारा प्रदान किये गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सूचित किया है कि दिनांक 30.08.2025 के आदेश के विरुद्ध, सुखराज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के समक्ष उ.प्र. राजस्व संहिता की धारा 67(5) सहपठित धारा 207 के अंतर्गत अपील संख्या डी-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



202608300000102 दायर की गई है, जो कलेक्टर, गोंडा के समक्ष लंबित है।

4. लिखित निर्देश अभिलेख में दर्ज किये गए हैं।

5. तदनुसार, गोंडा कलेक्टर को यह निर्देश जारी करते हुए इस याचिका का **निस्तारण** किया जाता है कि वे सुखराज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य वाद में, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना और अल्प अंतराल पर तारीखें निर्धारित करते हुए अपील संख्या डी-202608300000102 का निस्तारण विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक करें।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

3 फरवरी, 2026

प्रदीप